




The Uttar Pradesh Facilitative Trade (Amendment of Provisions) Act, 2025

Act No. 10 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/क्ष्म् हि फ्यू क्व

क्ष्म्-१] [क्ष्म् १८५२

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

य[क्ष्म्] 'क्ष्म् १९४७ २ तु उज्ज्वल २०२६

ि क्ष्म् १९४७ 'क्ष्म् १ फूर्म

उत्तर प्रदेश शासन

क्ष्म् हि वुक्ष्म् & १

संख्या 263 / ७९-वि-१-२०२६-१-क-१९-२०२५

लखनऊ, २ जनवरी, २०२६

अधिसूचना

फोफो/क

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे औद्योगिक विकास अनुभाग-६ प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक २ जनवरी, २०२६ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १० सन् २०२६ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १० सन् २०२६)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

जीवन तथा कारबार को सुगम बनाने हेतु विश्वास आधारित शासन में और अधिक वृद्धि हेतु अपराधों के गैर-अपराधीकरण तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए कतिपय अधिनियमितियों के संशोधन हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

१-(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा अनुसूची में उल्लिखित भिन्न-भिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

कतिपय
अधिनियमितियों में
संशोधन

जुर्माने तथा शास्तियों
का पुनरीक्षण

निरसन और
व्यावृत्ति

2—अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों को स्तम्भ (5) में उल्लिखित रीति में और सीमा तक एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

3—अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने तथा शास्तियाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, इस हेतु निर्धारित जुर्माना तथा शास्ति की न्यूनतम धनराशि के दस प्रतिशत से बढ़िया की जाएगी।

4—(1) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 14
सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन से ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें संशोधित अधिनियमिति लागू की गई हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो; और यह अधिनियम पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बंध में पहले से पूर्ण कोई उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मौंग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्माचन या उन्मोचन की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं करेगा; न ही यह अधिनियम इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रुद्धि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित करेगा कि एतद्वारा संशोधित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गई होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा; और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन से कोई अधिकारिता, पद, रुद्धि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित होंगे।

अनुसूची

ख 2 न० १२

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1	1953	14	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953	(क) धारा 22 में शब्द, “छह माह तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये से अनधिक का जुर्माना अथवा दोनों हेतु दायी और उल्लंघन निरंतर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस हेतु जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पाँच हजार रुपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माना” के स्थान पर “दो लाख रुपये तक शास्ति का दायी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में पाँच हजार रुपये तक अतिरिक्त शास्ति तक हो सकता है, प्रत्येक दिवस हेतु जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है” को रख दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
1	1953	14	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953	<p>(ख) धारा 22क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः—</p> <p>“22क—उल्लंघनों की जांच—</p> <p>(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विशेष रूप में सशक्त कोई निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है।</p> <p>(2) ऐसे निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन नोटिस जारी करने, दस्तावेज समन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने तथा शास्ति की सिफारिश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।</p> <p>(3) राज्य सरकार ऐसे जांचों हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियायें विहित कर सकती हैं।</p> <p>(ग) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः—</p> <p>“23—न्यायनिर्णायन, प्रशमन एवं अपील—</p> <p>(1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों का कोई भी उल्लंघन, धारा 22क के अधीन निरीक्षक द्वारा की गई जांच के आधार पर, धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नामित अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के अध्यधीन होगा।</p> <p>(2) गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, शास्ति के लिए दायी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर धारा 22 के अधीन अधिरोपित शास्ति के पचास प्रतिशत से अनधिक होने वाला संविरचना फीस उद्ग्रहण कर उल्लंघन का शमन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अध्यधीन कर सकते हैं।</p> <p>(3) किसी शास्ति या प्रशमन विनिश्चय से कोई व्यक्ति धारा 9 के अधीन नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी के समक्ष 30 दिवसों के भीतर, ऐसे रूप एवं रीति से अपील कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।”</p> <p>(घ) धारा 24 को निकाल दिया जायेगा।</p>

1	2	3	4	5
2	1956	3	उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955	(क) धारा 8 को निकाल दिया जायेगा।
3	1959	2	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959	<p>(क) धारा 465 में,— (एक) उपधारा (1) में, शब्द “ कारावास जो एक माह तक हो सकता है या ऐसी शास्ति जो एक सौ रुपये तक हो सकती है या जुर्माने अथवा दोनों से दिलेत किया जा सकता है” शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे—“ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, पाँच लाख रुपये तक तथा ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने का उत्तरदायी होगा।” (दो) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :— (2) “जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शास्ति हेतु दायी हो, वहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात किसी भी भवन को तुरंत हटाने अथवा उस भूमि के प्रचालन अथवा उपयोग को समाप्त करने का आदेश दे सकता है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन हुआ हो।” (तीन) उपधारा (3) में, शब्द “एक माह तक के कारावास अथवा एक सौ रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित” के स्थान पर शब्द “दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की दशा में पाँच लाख रुपए तक और दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर की दशा में एक लाख रुपए तक के शास्ति हेतु दायी होगा” रख दिये जायेंगे।</p>
4	1961	33	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961	<p>(क) धारा 107-क में, शब्द “साधारण कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है और ऐसा जुर्माना जिसे बीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय” के स्थान पर शब्द “जिसे ऐसे शास्ति का दायी होगा जो दो लाख रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है” रख दिया जाएगा। (ख) धारा 240 के लिए निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :— (राज्य सरकार, धारा 240 नियम बनाने में और उप-विधि बनाने में जिला पंचायत, विहित प्राधिकारी की मंजूरी से, यह निदेश दे सकती है कि इस उपबंध को भंग करने पर शास्ति लगायी जाएगी, जो एक हजार रुपये तक विस्तारित हो सकती है। यदि भंग निरंतर होता है, तो प्रारंभिक भंग के पश्चात उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस हेतु पचास रुपये तक का अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। भंग की पुनरावृत्ति होने की दशा में अपराधी पच्चीस हजार रुपये तक विस्तारित किए जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।” (ग) धारा 264-ज हेतु निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—</p>

1	2	3	4	5
4	1961	33	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961	धारा 264 में यदि कोई व्यक्ति धारा 264-घ अथवा धारा 264-च के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह एक लाख रुपये तक विस्तारित किये जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।"
5	1976	3	उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976	(क) धारा 6 में, शब्द 'ऐसा कारावास जिसका विस्तार छह माह तक हो सकता हो अथवा जुर्माना अथवा दोनों के साथ" के स्थान पर शब्द "शास्ति जिसे पचहत्तर हजार रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है" रख दिया जायेगा।
6	1976	6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976	(क) धारा 16-क में,— (एक) शब्द और प्रतीक, ऐसी अवधि के कारावास जो छह माह तक हो सकता है या ऐसा जुर्माना जो पाँच हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दंडित" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "ऐसी शास्ति जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकती के लिए दायी" रख दिये जाएंगे। (दो) विद्यमान पाठ के पश्चात निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः— "इस धारा के प्रयोजन हेतु, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, जांच आयोजित करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।"
7	1976	45	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	(क) धारा 10 में, शब्द 'उसे कारावास का जो छ: माह तक का हो सकता है, या जुर्माने का जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जाएगा" के स्थान पर शब्द "जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा" रख दिया जायेगा। (ख) धारा 10 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः— "10क-शास्तियों का न्याय निर्णयन— मंडलीय वन अधिकारी, धारा 10 के अधीन शास्ति अवधारित करने तथा अधिरोपित करने हेतु, ऐसी रीति से जांच करेगा, जैसी विहित।" (ग) धारा 13 निकाल दी जायेगी। (घ) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः— "15(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, प्रति वृक्ष पांच हजार रुपए से अनाधिक धनराशि, उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम

1	2	3	4	5
7	1976	45	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	<p>के अधीन किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित एक समय में पच्चीस से अधिक वृक्षों के सम्बन्ध में अपराध किया है, प्रति वृक्ष दस हजार रुपए से अनधिक धनराशि उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जायेगा।</p> <p>(3) उपधारा (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट शमन शुल्क का संदाय न किए जाने की स्थिति में, शमन शुल्क भूमि राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है।</p> <p>(4) यदि ऐसा धनराशि किसी ऐसे अधिकारी को संदाय कर दी जाती है, तो संदिग्ध, यदि हिरासत में हो, तो रिहा किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी, तथा धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा अधिकारी, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाली अन्यून दस हजार रुपए की धनराशि के संदाय पर, इस अधिनियम के अधीन जब्त की गई कोई भी संपत्ति निर्माणित कर सकता है।"</p>
8	2012	8	उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता, 2006	<p>(क) धारा 229 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्—</p> <p>"(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति—</p> <p>(क) जो इस सहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित विधिपूर्वक कोई विवरण या सूचना प्रदान करने में विफल रहता है; अथवा</p> <p>(ख) जो कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रदान करता है जो मिथ्या हो तथा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वो मिथ्या है; अथवा</p> <p>(ग) जो कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को इस सहिता के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि के कब्जा करने में बाधा उत्पन्न करता है, अथवा</p> <p>(घ) धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में किसी अधिकारी या लोक सेवक को बाधा पहुंचाता है; दो लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।"</p>
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	<p>(क) धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्—</p> <p>"39-अपराध तथा शास्तियां—</p> <p>(1) यदि कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता, अथवा कोई भी डिलिंग अभिकरण, समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा व्यक्ति, प्रथम अपराध के मामले में, कारावास से जो अन्यून छह मास होगा लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा जुर्माने से जो</p>

1	2	3	4	5
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	<p>अन्यून दो लाख रुपए होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।</p> <p>द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किए गए अपराध की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति पूर्व अपराध हेतु दी गई जुर्माने की धनराशि के दोगुने जुर्माने के साथ-साथ उक्त उपधारा के अधीन दी गई कारावास की सजा का भी दायी होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द किया जा सकेगा।</p> <p>(2) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता जो धारा 27 अथवा 29 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह—</p> <p>(क) प्रथम बार अपराध हेतु, शास्ति, जो दस लाख रुपए से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा;</p> <p>(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध हेतु शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा;</p> <p>(3) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या भूजल के वृहद उपभोक्ता अथवा वेधन अभिकरण, जो उपधारा (1), (2) के अधीन या अध्याय पांच के अधीन उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम अथवा तद्वीन बनाए गए नियमों, का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन करने में विफल रहता है, वह न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, के लिए दायी होगा।</p> <p>द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा जो पूर्व में अधिरोपित राशि का दुगुना होगा।</p> <p>इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।</p> <p>(4) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक भूगर्भ जल का उपभोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2) अथवा धारा 28 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह—</p> <p>(क) प्रथम उल्लंघन हेतु, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो दस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा;</p> <p>(ख) किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन हेतु न्यूनतम शास्ति जो चालीस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिये दायी होगा;</p> <p>(5) कोई भी जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न), जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूर्ण करने में विफल हो, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पांच लाख रुपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा।</p>

1	2	3	4	5
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019	<p>(6) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए, ऐसे रेखाचित्र स्वीकृत करने हेतु सक्षम किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी रेखाचित्र, अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित करने में विफल रहता है, तो वह भवन उपविधियों के अधीन निर्मित संबंधित उपबन्धों हेतु दायी होगा।</p> <p>(ख) धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—</p> <p>“39 क-न्यायनिर्णयन एवं वसूली— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 39 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी।”</p> <p>(2) शास्ति की अधिरोपित राशि का संदाय न किए जाने की स्थिति में, राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी।”</p>
10	2022	16	उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022	<p>(क) धारा 36 में शब्द और प्रतीक, ‘ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, या ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय’ के स्थान पर शब्द और प्रतीक “शास्ति जो पचहत्तर हजार रुपए तक हो सकती है के लिए दायी” रख दिए जाएंगे।</p> <p>(ख) धारा 39 में शब्द और प्रतीक, ‘ऐसी अवधि के कारावास जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, से या दोनों से और जहाँ अपराध जारी हो वहाँ ऐसा अग्रसर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय’ के स्थान पर शब्द और प्रतीक ‘ऐसी शास्ति जो पचहत्तर हजार रुपये तक हो सकती है और जहाँ उल्लंघन जारी हो, वहाँ अतिरिक्त शास्ति, जो प्रथम उल्लंघन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकती है, हेतु दायी’ रख दिए जाएंगे।</p>

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कारबार सुगमता में अभिवृद्धि करने के लिए विविध राज्य अधिनियमों में संशोधन एवं लघु, तकनीकी एवं प्रक्रियागत खामियों से संबंधित आपराधिक उपबन्धों को हटाना आवश्यक हो गया है। इन उपबन्धों को युक्तिसंगत आर्थिक शास्तियों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस पहल का प्रयोजन अनुपालन भार को कम करना, विनियामक निश्चितता में सुधार करना और राज्य में विनिधान को प्रोत्साहित करना है। यह उपागम जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से क्रियान्वित राष्ट्रीय सुधार प्रयास से जुड़ा हुआ है।

राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन यूएस ० डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। इस हेतु प्रत्याशित एवं गैर दांडिक विनियामक ढांचा अत्यावश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत क्षेत्रों में संशोधन करके उनके क्षेत्रों को गैर अपराधिकरण किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

जे० पी० सिंह-II,

प्रमुख सचिव।

—
No. 263 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-19-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sugamya Vyaapar (Pravdhano Ka Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 2026. The Audyogik Vikas Anubhag-6 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGAMYA VYAAPAR (PRAVDHAANO KA
SANSHODHAN) ACT, 2025

(U.P. Act no. 10 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugamya Vyaapar (Pravdhano Ka Sanshodhan) Act, 2025. Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

Amendment of certain enactments	2. The enactments mentioned in Column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in Column (5) thereof.
Revision of fines and penalties	3. The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten percent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.
Repeal and savings	<p>4. (1) The Uttar Pradesh Sugamya Vyaapar (Pravdhaano Ka Sanshodhan) Ordinance, 2025 is hereby repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.</p> <p>(3) The amendment by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding already completed in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended; nor shall the amendment by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.</p>

THE SCHEDULE

(See Section 2)

Sl. no.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1953	14	The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953	<p>(A) In Section 22, for the words "liable to imprisonment up to six months or to a fine not exceeding one lakh rupees or both and in the case of continuing contravention to a further fine not exceeding five thousand for each day during which the contravention continues", the words "liable to a penalty which may extend to two lakh rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional penalty which may extend to five thousand rupees for each day during which the contravention continues" shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(B) For Section 22A, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p style="padding-left: 20px;">"22A. Inquiry into Contraventions-</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) An Inspector, specially empowered by the State Government by notification, may conduct inquiries into any contravention of this Act or Rules or Orders made thereunder within the limits of his jurisdiction.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(2) Such Inspectors may exercise powers to issue notices, summon documents, and collect evidence necessary to ascertain compliance and recommend penalties under this Act.</p> <p>(3) The State Government may prescribe procedures for such inquiries to ensure fair and transparent enforcement."</p> <p>(C) For Section 23, the following Section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p>"23. Adjudication, Compounding, and Appeal-</p> <p>(1) Any contravention of this Act or rules or orders made thereunder shall be subject to a penalty imposed by the Cane Commissioner appointed under Section 9 or an officer designated under Section 10, based on an inquiry conducted by an Inspector under Section 22A.</p> <p>(2) The Cane Commissioner or an officer designated under Section 10 may, on application by the person liable for a penalty, compound the contravention by levying a composition fee not exceeding fifty percent of the penalty imposed under Section 22, subject to procedures prescribed by the State Government.</p> <p>(3) Any person aggrieved by the imposition of a penalty or compounding decision may appeal to the Sugar Commissioner appointed under Section 9 or an appellate authority designated by the State Government within thirty days, in such form and manner as may be prescribed."</p> <p>(D) Section 24 shall be <i>omitted</i>.</p>
2	1956	3	The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955	Section 8 shall be <i>omitted</i> .
3	1959	2	The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959	<p>(A) In Section 465,-</p> <p>(i) in sub-section (1), <i>for</i> the words and symbol "punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both", the words "liable to a penalty which may extend to five lakh rupees in case of a city with a population exceeding one million and one lakh rupees in case of a city with a population less than one million" shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) <i>for</i> sub-section (2), following sub-section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p>"(2) Where a person is held liable for a penalty under sub-section (1), the adjudicating officer may, after giving an opportunity of being heard, order the immediate removal of any building, or the discontinuance of the operation or use of land, in respect of which such contravention has occurred."</p> <p>(iii) in sub-section (3), <i>for</i> the words "punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both", the words "liable to a penalty which may extend to five lakh rupees in case of a city with a population exceeding one million and one lakh rupees in case of a city with population less than one million" shall be <i>substituted</i>.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	1961	33	The Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961	<p>(A) In Section 107-A, <i>for</i> the words and symbol "punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to two lakh rupees." shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(B) <i>For</i> Section 240, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:–</p> <p>"240. In making a rule, the State Government, and in making a bye-law, the Zila Panchayat with the sanction of the Prescribed Authority, may direct that a breach of this provision shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees. In case of a continuing breach, an additional penalty of upto fifty rupees, may be imposed for each day the violation continues after the initial breach. In the event of a repeated breach, offender shall be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees."</p> <p>(C) <i>For</i> Section 264-J, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:–</p> <p>"264-J. If any person contravenes any order made under Section 264-D or Section 264-F, he shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees."</p>
5	1976	3	The Uttar Pradesh Intoxicating Liquor (Objectionable Advertisements) Act, 1976	(A) In Section 6, <i>for</i> the words "with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both", the words "with a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees" shall be <i>substituted</i> .
6	1976	6	The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976	<p>(A) In Section 16-A,–</p> <p>(i) <i>for</i> the words and symbol "punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees" shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) <i>after</i> the existing text, the following shall be <i>inserted</i>, namely:–</p> <p>"For the purposes of this section, the Chief Executive Officer or any officer authorised by him shall have the power to hold inquiry and impose the penalty in such manner as may be prescribed."</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	1976	45	The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976	<p>(A) In Section 10, <i>for</i> the words, "punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(B) <i>After</i> Section 10, following Section shall be <i>inserted</i>, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">"10A. Adjudication of Penalties— The Divisional Forest Officer shall conduct an inquiry to determine and impose the penalty under Section 10, in such manner as may be prescribed."</p> <p>(C) Section 13 shall be <i>omitted</i>.</p> <p>(D) <i>For</i> Section 15, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">"15. (1) The State Government may, by notification, authorise any officer to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed an offence under this Act in relation to any tree situated in any forest, garden or public land, a sum of money not exceeding five thousand rupees per tree as compounding for the offence believed to have been committed by such person.</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) The State Government may, by notification, authorise any officer to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed an offence under this Act in respect of more than twenty-five trees at one time situated in any forest, garden or public land, a sum of money not exceeding ten thousand rupees per tree as compounding for the offence believed to have been committed by such person.</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) In case of non-payment of the composition fee specified in sub-section (1) or (2), the composition fee may be recovered as land revenue.</p> <p style="padding-left: 40px;">(4) On payment of such sum of money to any such officer, the suspect, if in custody, shall be released and no further proceedings shall be taken against such person under this Act and notwithstanding anything contained in Section 14, such officer may, on payment of such sum, not being less than ten thousand rupees, as he may consider reasonable in the circumstances of the case, release any property seized under this Act."</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	2012	8	The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006	<p>(A) For Section 229, the following Section shall be substituted, namely:—</p> <p>"229."(1) Every person,—</p> <p>(a) who fails to furnish any statement or information lawfully required under the provisions of this Code; or</p> <p>(b) furnishes any statement or information which is false and which he has reason to believe to be false; or</p> <p>(c) obstructs the Collector or any other revenue officer or Gram Panchayat in taking possession of any land in accordance with the provisions of this Code; or</p> <p>(d) obstructs any officer or public servant in doing any of the Acts specified in Section 220; shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees."</p>
9	2019	13	The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019	<p>(A) For Section 39, the following section shall be substituted, namely:—</p> <p>"39. Offences and Penalties—</p> <p>(1) If any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater, or any drilling agency obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorised by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, such person shall be punishable with imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to one year, or with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both, in the case of a first offence.</p> <p>In the event of a second or subsequent offence, such person shall be liable to a fine which shall be double the amount of the fine awarded in the previous instance, in addition to imprisonment awarded under the said sub-section. Besides, the authorisation or no-objection certificate granted under this Act shall be liable to cancellation.</p> <p>(2) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater who contravenes the provisions of Sections 27 or 29 shall,—</p> <p>(a) for the first offence, be liable a penalty which shall not be less than ten lakh rupees;</p> <p>(b) for the second or subsequent offence, shall be liable a penalty which shall not be less than fifteen lakh rupees.</p> <p>(3) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater or drilling agency who contravenes or fails to comply with any provision of this Act or the rules made thereunder except those covered under sub-sections (1), (2), or the provisions under Chapter-V, shall be liable to a</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>minimum penalty which may be prescribed and which may extend to five lakh rupees.</p> <p>In the event of a second or subsequent contravention, such person shall be liable to a penalty which shall be double the amount imposed in the previous instance. The authorisation or no-objection certificate granted under this Act shall be liable to cancellation.</p> <p>(4) Any commercial, industrial, infrastructural or bulk user of groundwater who contravenes the provisions of sub-section (2) of Section 26, or Section 28 shall,—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) for the first contravention, be liable to a minimum penalty which may be prescribed and which may extend to ten lakh rupees; (b) for any subsequent contravention, be liable to a penalty which may extend to forty lakh rupees. <p>(5) Any supplier of water (other than Government drinking water supply schemes) who supplies or causes to be supplied groundwater which fails to meet the quality standards prescribed under any law for the time being in force shall be liable to a minimum penalty which may be prescribed and which may extend to five lakh rupees.</p> <p>(6) Whoever, being the owner of a building, fails to install a system for harvesting rainwater to recharge groundwater as per the sanctioned drawing, design and guidelines issued by any Development Authority or other authority competent to sanction such drawing, shall be liable to concerned provisions made under building bye-laws."</p> <p>(B) After Section 39, the following section shall be inserted, namely: —</p> <p>"39A. Adjudication and Recovery—</p> <p>(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by notification designate an officer for the purpose of imposing penalties under Section 39 in such manner as may be prescribed.</p> <p>(2) In the event of non-payment of the penalty imposed, the amount shall be recoverable as an arrear of land revenue."</p>
10	2022	16	The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022	<p>(A) In Section 36, for the words any symbol "punishable with fine which may extend to Ten thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both", the words and symbol "liable to a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees" shall be substituted.</p> <p>(B) In Section 39, for the words and symbol "be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.", the words and symbol "be liable to a penalty which may extend to seventy-five thousand rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional penalty which may extend to one thousand rupees for every day after the first during which such contravention continues."</p>

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To promote ease of doing business in the State of Uttar Pradesh, it has become necessary to amend various State Acts and remove criminal provisions relating to minor, technical and procedural lapses. These provisions are being replaced with rationalised monetary penalties. The purpose of this initiative is to reduce compliance burden, improve regulatory certainty and encourage investment in the State. This approach is aligned with the national reform effort undertaken through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.

The State aims to achieve a USD 1 trillion economy. For this, a predictable and non punitive regulatory framework is essential. In view of the above, it was decided to amend certain Acts to decriminalise certain provisions thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sugamya Vyapaar (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 14 of 2025) was promulgated by the Governor on 7th November, 2025.

The Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 319 राजपत्र—2026—(966)—599 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 143 साठ विधायी—2026—(967)—300 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।